



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 09-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2016-2-विविध/2ब/2015

दिनांक: 15 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के का०ज्ञा०सं०-3291-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2015 दिनांक 07.09.2015 के क०सं०-16 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुक्रम में धारा-3(7) से प्रभावित अधिशासी अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को पदावनत/पुनर्चयन हेतु सम्पन्न बैठक में विभागीय चयन समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रतिबन्धाधीन चयनित निम्नांकित अधिकारी द्वारा चयन का प्रतिबन्ध पूर्ण होने जाने के दृष्टिगत, सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) संवर्ग की एकल वरिष्ठ सूची में सामान्य/अ०पि०जा० श्रेणी के आसन्न वरिष्ठ की अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश की तिथि से, अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत कर स्तम्भ सं०-6 में उल्लिखित निगम/इकाई में आबण्डित/तैनात किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम/अभिज्ञान सं०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान पदनाम एवं तैनाती निगम	दिनांक 15.11.97 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/पुनर्व्यस्थित प्रोन्नति की तिथि	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आबण्डित निगम/तैनाती का कार्यालय/स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अनिल कुमार (अनु०जा०) 97110/मुजफ्फरनगर 30.06.2022/वैद्युत एवं यान्त्रिकी सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र, मेरठ।	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता 12.10.2012	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 09-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल/पूर्वान्चल/दक्षिणान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।

क्रमशः.....2/-

शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
SHAKTI BHAWAN, 14, ASHOK MARG,
LUCKNOW-226001

Phone 2287787
फैक्स 0522-2287789
Fax 0522-2287789



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

-2-

वाराणसी/आगरा/मेरठ/ केस्को लि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त कार्मिक को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्विःसदस्यीय समिति का यथावॉछित अनुमोदन प्राप्त कर, उक्त कार्मिक की पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त, मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिक को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।

- 5- समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
- 7- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 9- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव

21